

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुरजो बनाम राकेश अपील संख्या:-74/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/342)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>12.12.23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्त ने दौराने बहस कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा दिनांक 02.03.2022 को आवंटन नियमों की पालना किये बिना ही आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 2.08 हैक्टर किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम नेडोली तहसील टहला जिला अलवर में से रकबा 1.60 भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है जबकि उक्त भूमि मौके पर खाली नहीं है बल्कि अपीलान्त व अन्य काश्तकारों का खसरा नम्बर 117 रकबा 2.08 हैक्टर किस्म बारानी सोयम सम्पूर्ण में से 1.60 हैक्टर पर कब्जा है व काश्त करते चले आ रहे है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलान्त द्वारा उक्त विधि विरुद्ध आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है किन्तु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 18.11.2022 द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जा चुका है। इसलिये अपीलान्त अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्त की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन आदेश क्रमांक एल. आर/आवंटन/2021-22/ 2069 दिनांक 02.03.2022 को निरस्त कराने हेतु अपीलान्त द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है जबकि जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 18.11.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के आदेश क्रमांक एल.आर/आवंटन/2021-22/2069 दिनांक 02.03.2022 को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील सारहीन हो चुकी है जिसे अब आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(असलम शेर खान) अति.संभाषीय आयुक्त, जयपुर</p>	